(2)

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पिड़ावा

क्रमांकः– कोर्ट/प्रार्थना पत्र/20/2020/ दायर दिनांक 11.05.2020

उनवानः– विनोद कुमार बनाम सरकार

–: आदेश :–

प्रार्थी विनोदकुमार पुत्र हरिसिह जैन वगैरह निवासी पिड़ावा द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र अनुसार कस्बा पिड़ावा की आराजी खसरा नम्बर 1731/1145 रकबा 0.4047 हेक्टर शामलाती खाता दर्ज है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में तहसीलदार पिड़ावा से जांच रिपोर्ट ली गई जांच रिपोर्ट अनुसार खसरा नंम्बर 1145 ग्राम पिड़ावा की आराजी पर खातेदार विनोद कुमार, अनीता पिस0 हरिसिंह वगै0 का कब्जा पूर्व दिशा मे रकबा 0.4047 है0 पर है, जिसका ख0न0 मुताबिक रेकार्ड 1731/1145 हैं। तहसील ऑनलाइन (DILRMP) होने के बाद ख0न0 1731/1145 नक्शें मे पश्चिम दिशा मे दर्ज हो गया है। मौका व जमाबन्दी रेकार्ड अनुसार ख0न0 1731/1145 रकबा 0.4047 हेक्टर की तरमीम पूर्व दिशा मे तथा ख0न0 1145 रकबा 0.4173 हेक्टर की पश्चिम दिशा मे तरमीम शुद्ध करने की अनुशंषा प्राप्त है।

अतः प्रार्थी के तरमीम दुरूस्ती प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार पिड़ावा, पटवारी पिड़ावा व भू–अभिलेख निरीक्षक पिड़ावा की रिपोर्ट तथा रेकार्ड के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पिड़ावा तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 मे ख0न0 1731/1145 रकबा 0.4047 हेक्टर की तरमीम पूर्व दिशा मे तथा ख0न0 1145 रकबा 0.4173 हेक्टर की पश्चिम दिशा मे रेकार्ड पर तरमीम शुद्ध किये जाने की आज्ञा एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

(श्रवणसिंह)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट पिड़ावा (राज.)

क्रमांकः– राजस्व/2020/585-86 दिनांक 18/05/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ व पालनार्थ हेतु प्रेषित हैं:–

1. तहसीलदार पिड़ावा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु।
2. प्रार्थी श्री विनोदकुमार पुत्र हरिसिह जैन वगैरह निवासी पिड़ावा को सूचनार्थ।

(श्रवणसिंह)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrawan Singh
Date: 2020.06.03 14:27:54 IST
Reason: SelfAttested